



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019/श्रावण 7, 1941

No. 274]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2019/SHRAVANA 7, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 29 जुलाई, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2019

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/26.—बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 की उप-धारा (2) के खंड (च) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1) एवं (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में, विनियम 3 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“स्पष्टीकरण : इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, शब्द “शेयरों” में उच्चतर मताधिकारों वाले इक्विटी शेयर शामिल होंगे।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./163/19]

पाद टिप्पण :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जीएन/2018/32 द्वारा, 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 29th July, 2019

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2019**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/26.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 11 and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with clause (f) of sub-section (2) of section 68 of the Companies Act, 2013, the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, namely,—

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2019.
2. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, in regulation 3, the following explanation shall be inserted, namely,—

“Explanation: For the purposes of these regulations, the term “shares” shall include equity shares having superior voting rights.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./163/19]

Footnote:

The Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018 *vide* notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/32.